

भारत में नैतिक वरिध: सामाजिक अशांतपर नयितरण

देश में चल रहे वरिध प्रदर्शनों से नैतिकता, लोकतंत्र एवं अपनी शकियतें व्यक्त करने के नागरिकों के अधिकारों के संबंध में देशव्यापी वमिर्श शुरू हुआ है। इन वरिध प्रदर्शनों पर वमिर्श के आलोक में उन नैतिक सदिधांतों की महत्ता को बल मला है जो असहमता एवं सामाजिक सक्रयिता के प्रता हमारी प्रतक्रिया का मार्गदर्शन कर सकें।

सबसे पहले, शांतपूरण सभा एवं वरिध का अधिकार लोकतंत्र का एक बुनयिदी पहलू है और इसे संरक्षति कयिा जाना चाहयि। नागरिकों को अपनी चतिओं को व्यक्त करने, परविरतन की वकालत करने तथा शांतपूरण तरीकों से नरिवाचति सरकार को जवाबदेह ठहराने का अधिकार है। असहमतिको दबाने या चुप कराने का कोई भी प्रयास हमारे समाज की नीव बनाने वाले लोकतांत्रिक सदिधांतों को कमजोर करता है।

साथ ही इस आलोक में प्रदर्शनकारयिों को नैतिक रूप से आचरण करने, दूसरों के अधिकारों और सुरक्षा का सम्मान करने एवं हसिा या संपत्ति को क्षति पहुँचाने से बचने की आवश्यकता है। अहसिक वरिध न केवल सार्थक परविरतन लाने में अधिकि प्रभावी है बल्कि करुणा, सहानुभूति एवं मानवीय गरमिा के सम्मान के नैतिक सदिधांतों के अनुरूप भी है।

इसके अलावा, अधिकारयिों को वरिध प्रदर्शनों की प्रतक्रिया में संयम बरतने के साथ मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहयि। अत्यधिक बल का प्रयोग, मनमानी गरिफ्तारी या सेंसरशपि से नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होने के साथ सरकार की वैधता कमजोर होती है। कानून परविरतन एजेंसयिों का कर्त्तव्य है कविें प्रदर्शनकारयिों सहति सभी व्यक्तयिों की स्वतंत्र अभवियक्ता के अधिकार का सम्मान करते हुए उनकी सुरक्षा एवं अधिकारों की रक्षा करें।

सामाजिक अशांतकी स्थिति में नैतिक वरिध एवं वमिर्श को बढ़ावा देने के लयि व्यक्ति, समुदाय तथा सरकारें क्या कदम उठा सकती हैं?